

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in & secrajasthan@gmail.com, Ph./FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ.4(1)(4)नपा/रानिआ/2014/II/ 5575

दिनांक: 31/10/14

आदेश

आयोग द्वारा दिनांक 28.10.2014 को नगर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान लागू हो गए हैं। आचार संहिता के दौरान निविदा आमंत्रित करने के लिए समाचार पत्र में प्रकाशन की अनुमति हेतु बहुत अधिक मात्रा में प्रकरण आयोग को प्राप्त हो रहे हैं।

इस संबंध में आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि :-

1. ऐसी निविदा जो विभाग में जारी रहने वाले कार्य (On going activities) से संबंधित हैं उनकी निविदा विज्ञापन जारी करने में आयोग को कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे प्रकरण आयोग की अनुमति हेतु प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है।
2. अनुपयोगी/नाकारा सामान जिसकी नीलामी "जहां है जैसा है" के आधार पर की जानी है, के लिए निविदाएं आमंत्रित करने/विज्ञापन जारी करने पर आयोग को कोई आपत्ति नहीं है। अतः ऐसे प्रकरण आयोग की सहमति/अनुमति हेतु प्रेषित करना आवश्यक नहीं है।
3. उपरोक्त कार्यवाही से पूर्व संबंधित प्राधिकारी यह सुनिश्चित कर लेवें कि किसी भी रूप में आचार संहिता का उल्लंघन न हो।
4. आदर्श आचार संहिता के दौरान 46 नगर निकाय जहां निर्वाचन होना है, उनमें नए कार्य के लिए निविदा आमंत्रण पर प्रतिबंध रहेगा।
5. राज्य सरकार की उपलब्धियां दर्शित करने वाले विज्ञापन के प्रकाशन पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त जारी होने वाले विज्ञापन, जो आदर्श आचरण संहिता की भावना के विरुद्ध नहीं हैं, पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

आज्ञा से,

(सत्य प्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

दिनांक: 31/10/14

क्रमांक: एफ.4(1)(4)नपा/रानिआ/2014/I/ 5576-85
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, बीकानेर, बारां, भरतपुर, चित्तौड़गढ़, चूरु, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, जयपुर, झुंझुनूं, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, राजसमंद, सीकर, श्रीगंगानगर, सिरोही, टोंक एवं उदयपुर।
9. निजी सहायक, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
10. निजी सहायक, सचिव/उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

(सत्य प्रकाश बसवाला)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

31/10/2014